

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विकास विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 60(1)/ग्रा.वि./नरेगा/सा.अंके./2010-11

जयपुर दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

॥ 9 MAR 2010

विषय : सामाजिक अंकेक्षण के संबन्ध में दिशा निर्देश।

प्रसंग : सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अहंशा
पत्रांक जे1160-12/1/09/नरेगा दिनांक 19.02.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करवाएं -

- 1 जिले की जिन ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2009-10 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पन्न नहीं किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के नाम मय पंचायत समिति के भिजवाने का श्रम करे।
- 2 गत सामाजिक अंकेक्षण में आवश्यक कार्यवाही हेतु उठाये गये बिन्दुओं का तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण मय ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के भिजवायें।
- 3 वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु जिले का सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर (ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितिवार) बनवा कर राष्ट्रीय नरेगा वैबसाईट पर डलवाते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भिजवायें। इसे वैबसाईट पर डालने का पाथ निम्नानुसार है।

www.nrega.nic.in → click on rajasthan → click on district block tab → Administration Programme Officer → Data Entry → Rajasthan
Fill the Details of related → Districts → Click on Proceed → Fill the Social Audit Details

- 4 सामाजिक अंकेक्षण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करवाएं जिससे सामाजिक अंकेक्षण के उपयोगी परिणाम सामने आ सके।
- 5 सामाजिक अंकेक्षण संबन्धित समस्त सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों में राष्ट्रीय नरेगा वैबसाईट पर समय समय पर डलवाना सुनिश्चित करवाएं।

भवदीय

15/3/10
(तन्मय कुमारी)

आयुक्त एवं शासन सचिव, (ईजीएस)

प्रतिलिपि-

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिला परिषद।

15/3/10
आयुक्त एवं शासन सचिव, (ईजीएस)